

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-7-10/2019/आ.प्र./एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2019

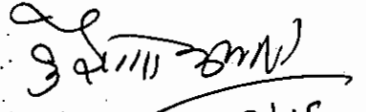
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 2019.

.....

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 2019 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 08 मार्च, 2019 को प्रकाशित किया गया है, की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।


(के.के.कातिया) 9/3/19

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

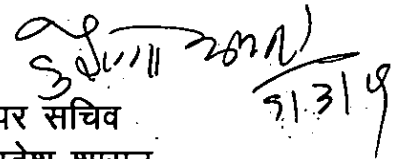
पृ0 क्रमांक एफ-7-10/2019/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।

9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
 10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
 11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
 12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
 13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
 14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
 16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0-103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082।
 17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
 18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
 19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
 20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 अपर सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019—फाल्गुन 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 76-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१९

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१९

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 8 मार्च, 2019 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया]

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं.

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१९ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २१ सन्
१९९४ का अस्थायी
रूप से संशोधित
किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक २१ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अधधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ४ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, खण्ड (एक) में,—

(एक) उपखण्ड (क) में, शब्द और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपखण्ड (ख) में, शब्द और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

भोपाल :

तारीख : ८ मार्च, २०१९

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 76-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 OF 2019

THE MADHYA PRADESH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON, ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN) SANSHODHAN ADHYADESH, 2019[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 8th March 2019]

Promulgated by the Governor in the seventieth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Sanshodhan Adhyadesh, 2019.

Short title.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

Madhya Pradesh Act No. 21 of 1994 to be temporarily amended.

3. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (i),—

Amendment of Section 4.

- (i) in sub-clause (a), for the words and figure "Other Backward Classes 14 percent" the words and figure "Other Backward Classes 27 percent" shall be substituted.
- (ii) in sub-clause (b), for the words and figure "Other Backward Classes 14 percent" the words and figure "Other Backward Classes 27 percent" shall be substituted.

Bhopal :
Dated the 8th March 2019.ANANDIBEN PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.